...ख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 40/18	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
...1.19	पत्रावली वास्ते जवाब सरकार दिनांक 24.12.19 को पेश हो [signature] उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद	
24.12.19	आज भी सरकार ने जवाब व दावा नहीं पेश कर जाहिर किया कि वादी [illegible] वाद स्थगित को [illegible] वकील वादी ने भी प्रकरण में जवाब नहीं पेश करना जाहिर किया अतः [illegible] पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 3.1.20 को पेश हो [signature] उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद	वादीगण की ओर से साक्ष्य पेश नहीं करना है Ramesh Singh 24/12/19
3.1.20	पत्रावली पेश है निर्णय [illegible] पत्रावली वास्ते [illegible] दिनांक 20.2.20 को पेश हो [signature] उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद	

Scanned by CamScanner

...ालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 40 / 2018

उनवान

1. पहलवान पुत्र रहमान जाति चीता निवासी राजौसी खापरी की डांग

— वादीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री रमेश रावत

बनाम

1. रामा पुत्र रहमान
2. बुद्धा पुत्र रहमान जाति चीता निवासी राजौसी खापरी की डांग
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद
4. यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा भवानीखेडा

— प्रतिवादीगण :–1, 2, 4 अनुपस्थित
प्रतिवादी संख्या 3 राज पेरोकार

वाद पत्र बाबत अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राज0 काश्त0 अधि0 1955

दिनांक :– 31.1.2020

–: निर्णय :–

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादी की ग्राम नान्दला में वादी एवं प्रतिवादीगण की सहखातेदारी / सहकाश्तकारी की पुश्तैनी आराजियात स्थित है। जिसके खाता संख्या 662 / 511 खसरा नम्बर 35, 36, 37, 38, 58, 60, 60 / 4198, 61, 61 / 4197, 62, 63, 63 / 4199, 64, 64 / 4200, 65 रकबा 0.62, 0.57, 0.02, 0.34, 0.15, 0.35, 0.31, 0.22, 0.27, 0.31, 0.23, 0.15, 0.11, 0.05, 0.80 खाता संख्या 727 / 574 खसरा नम्बर 43, 44, 45 रकबा 0.35, 0.19, 0.27 है। वादग्रस्त आराजियात में प्रत्येक का 1 / 3 हिस्सा निहित है। वादग्रस्त आराजीयात वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त रूप से चली आ रही है। वादग्रस्त आराजी मुतनजा आज दिनांक तक अविभाजित है। तथा प्रतिवादी वादग्रस्त आराजियात का बिना बॅटवारा कराये रहन, बेचान हस्तान्तरण करने पर आमादा है। अतः वादग्रस्त आराजियात का बंटवारा बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स अनुसार किया जाकर वादी को खातेदार घाषित किये जाने हेतु निवेदन किया। व वादग्रस्त आराजियात का अन्यत्र बय,बेचान, रहन या अन्य तरीके से हस्तांतरण नहीं करे इस हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने हेतु निवेदन किया।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 4 के उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 3 ने अपने जवाब में जाहिर किया की वादी अपना वाद स्वयं सिद्ध करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Scanned by CamScanner

प्रकरण में वाद के समर्थन में जवाब प्रेषित नहीं होने व वाद का खण्डन नहीं होने से तनकियात कायम नहीं की गयी।

अधिवता वादी ने वाद पत्र के समर्थन में हाल जमाबन्दी संवत 2070–73, दस्तावेज प्रस्तुत किये।

वकील वादी ने साक्ष्य पेश नहीं कर सीधे ही बहस करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन व अनुशीलन किया गया। विद्वान अधिवक्ता वादीगण की बहस पर मनन किया।

वादी द्वारा ग्राम नान्दला के खाता संख्या 662/511 खसरा नम्बर 35, 36, 37, 38, 58, 60, 60/4198, 61, 61/4197, 62, 63, 63/4199, 64, 64/4200, 65 रकबा 0.62, 0.57, 0.02, 0.34, 0.15, 0.35, 0.31, 0.22, 0.27, 0.31, 0.23, 0.15, 0.11, 0.05, 0.80 खाता संख्या 727/574 खसरा नम्बर 43, 44, 45 रकबा 0.35, 0.19, 0.27 की वर्तमान जमाबन्दी पेश की है वर्तमान जमाबन्दी अनुसार वादग्रस्त आराजी रहमान वल्द अहमद कौम चीता, रामा, बुधा, पहलवान पिसरान रहमान कौम चीता वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी राजस्व अभिलेख में अविभाजित है। वादग्रस्त आराजी के विभाजन से उभयपक्ष के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडेगा। प्रतिवादीगणों ने वाद में किसी प्रकार का कोई खण्डन नहीं किया है एवं अनुपस्थित रहें है। प्रतिवादीगण कोई आपत्ती हो तो विभाजन प्रस्ताव के समय पेश कर सकते है। आराजी मुतनाजा का विभाजन भूमि की किस्म, मूल्य व लगान के आधार पर किया जाना ही न्यायोचित है।

अतः ग्राम नान्दला खाता संख्या 662/511 खसरा नम्बर 35, 36, 37, 38, 58, 60, 60/4198, 61, 61/4197, 62, 63, 63/4199, 64, 64/4200, 65 रकबा 0.62, 0.57, 0.02, 0. 34, 0.15, 0.35, 0.31, 0.22, 0.27, 0.31, 0.23, 0.15, 0.11, 0.05, 0.80 खाता संख्या 727/574 खसरा नम्बर 43, 44, 45 रकबा 0.35, 0.19, 0.27 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स अनुसार विधिवत विभाजन उभयपक्ष की विधिवत उपस्थिति में तैयार कर इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की प्राथमिक डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक [illegible] को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Scanned by CamScanner

<u>प्राथमिक डिकी व मुकदमें इब्ताई</u>

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

गजानन्द बनाम रामा

दावा बाबत :– 53,88,188 रा.का.अधि 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर –40/18
पेश करने की दिनांक – 13.4.18

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू श्री राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक रमेश रावत मुददई मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि :–

ग्राम नान्दला खाता संख्या 662/511 खसरा नम्बर 35, 36, 37, 38, 58, 60, 60/4198, 61, 61/4197, 62, 63, 63/4199, 64, 64/4200, 65 रकबा 0.62, 0.57, 0.02, 0.34, 0.15, 0.35, 0.31, 0.22, 0.27, 0.31, 0.23, 0.15, 0.11, 0.05, 0.80 खाता संख्या 727/574 खसरा नम्बर 43, 44, 45 रकबा 0.35, 0.19, 0.27 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स अनुसार विधिवत विभाजन उभयपक्ष की विधिवत उपस्थिति में तैयार कर इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक——— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 23 माह 1 सन् 2019 को जारी की गयी।

मुददई		मुदायला	
स्टाम्प अरजी दावा	/	स्टाम्प वकालतनामा	/
स्टाम्प वकालतनामा		स्टाम्प अरजी	
स्टाम्प वजह सबूत		मेहनताना वकील	
मेहनताना वकील		खर्चा गवाहान	
फीस कमिश्नर		फीस कमिश्नर	
खर्चा गवाहान		बाबत् इजराय हुक्मनामा	
बाबत् इजराय हुक्मनामा		मुतफरिक	
मुतफरिक			
मिजान		मिजान	

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2020.01.22 10:38:53 IST
Reason: SelfAttested
Location: